छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 493/2009

1. श्री बी0एस0 शर्मा, – अपीलार्थी
भू0पू0 वरिष्ठ उपाध्यक्ष,
नेहरू नगर रेजीडेन्ट्स एसोसिएशन,
2/12, नेहरू नगर, भिलाई, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, – प्रति अपीलार्थी
कार्यालय नगर निगम, भिलाई
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 20 अगस्त, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री बी0एस0 शर्मा द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय नगर निगम, भिलाई के समक्ष दिनांक 10.07.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 04.09.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील पर प्रथम अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 15.09.2008 को आदेश पारित कर 15 दिवस में शेष जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये, किन्तु उसके बाद भी उन्हें पूर्ण जानकारी नहीं मिलने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 12.01.2009 को शिकायत प्रस्तुत की गई थी, जो बाद में द्वितीय अपील के रूप में दिनांक 19.02.2009 को प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में चाही गई जानकारी नेहरू नगर आवासीय परिसर, वार्ड क्रमांक–2 की विकास योजनाओं के संबंध में है और जन सूचना अधिकारी ने बताया कि उनके द्वारा विस्तृत जानकारी निःशुल्क दी गई है। मौखिक तर्क में अपीलार्थी द्वारा यह बताया गया कि केन्द्र शासन द्वारा वित्त–पोषित 23 करोड़ की नेहरू नगर और वैशाली नगर की स्वीकृति उपरांत आवंटित राशि उपयोग नहीं होने में किसकी लापरवाही है और क्या दण्ड दिया जा रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है तथा उक्त योजना पुनर्जीवित करने के लिए नगर निगम क्या कर रहा है, इसकी भी जानकारी नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2007 की समयावधि में छः सड़कों के डामरीकरण के एक वर्ष बाद ही जर्जर हो जाने पर निविदा शर्तों के अनुसार ठेकेदार एवं संबंधित परियोजना अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा प्रस्तावित है, इसकी भी जानकारी नहीं दी गई है। जन सूचना अधिकारी ने यह बताया कि कार्यपालन अभियंता, जोन क्रमांक–1, नगर निगम, भिलाई द्वारा जो जानकारी दी गई है, वह दिनांक 01.08.2009 के पत्र द्वारा उन्हें प्रदान की गई है। उनके द्वारा मौखिक तर्क के समय यह भी बताया गया कि केन्द्र शासन को प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजी गई थी, किन्तु उनके द्वारा सीमित संख्या में नगर निगमों को ही राशि भेजी गई है, इन्हें राशि को लेप्स होना नहीं कहा जा सकता है और आगे भी इस योजनाओं को पुनः स्वीकृति के लिए कार्यवाही जारी है। किन्तु प्रकरण से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संबंध में जो भी पत्र व्यवहार हुआ है, उनकी विस्तृत एवं स्पष्ट जानकारी अपीलार्थी को नहीं दी गई है। अपीलार्थी एक वरिष्ठ नागरिक है और उनके द्वारा नेहरू नगर एसोसियेशन की ओर से एक जनहित का प्रश्न उठाकर जानकारी चाही गई है, अतः जन सूचना अधिकारी का यह दायित्व है कि वे पूर्ण, स्पष्ट तथा सही जानकारी उन्हें प्रदान करें। अतः आयुक्त, नगर निगम को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे अब अपीलार्थी को बुलाकर चाही गई जानकारी से संबंधित समस्त रिकार्ड का निःशुल्क निरीक्षण करावें और जो जानकारी शेष बची हो, वह भी उन्हें 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करायी जावे। साथ ही आयुक्त, नगरीय प्रशासन को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस संबंध में अपने स्तर पर यह जॉच करें कि इन योजनाओं के बारे में यदि नगर निगम के किसी अधिकारी की कोई त्रुटि रही हो, जिसके कारण कोई राशि लेप्स हुई हो या पुनः स्वीकृति में कोई विलंब हुआ है तो उसके विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए धारा–20(2) के अन्तर्गत अनुशंसा की जाती है। साथ ही उस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में उठाये गये बिन्दुओं पर अब यदि कोई योजना लंबित हो तो उसके संबंध में राज्य शासन से

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

अथवा भारत शासन से शीघ्र प्रयास करके स्वीकृति प्राप्त करें और इस संबंध में की गई कार्यवाही से अपीलार्थी को भी एक माह के अन्दर अवगत कराया जावे। साथ ही इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास प्राधिकरण, रायपुर को भी निर्देश दिये जाते हैं कि इन योजनाओं के बारे में उनके यहॉ उपलब्ध रिकार्ड का भी अपीलार्थी को निःशुल्क निरीक्षण कराया जाकर उन्हें निःशुल्क जानकारी एक माह में दी जावे। प्रकरण में अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी के लिए कोई दुर्भावना नहीं होने से शास्ति की कार्यवाही आवश्यक नहीं है, किन्तु अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए नगर निगम की ओर से धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 500/– रूपये प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com